# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

## पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

**प्रकरण संख्या** : 5/13

1 चतरा पुत्र कान्हा जी एवं भवानी बाई पुत्री कान्हा, कौम भील, निवासी ग्राम लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 श्याम सुन्दर आत्मज चेलाराम, जाति पंजाबी, निवासी 3–के–8, तलवण्डी, कोटा
2 मूनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार, जाति मुसलमान, निवासी 5–बी–17, विज्ञान नगर, कोटा
3 जगदीश पुत्र गोर्धन नागर, जाति धाकड, निवासी ग्राम भाण्डाहेडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
4 देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर, जाति धाकड, निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर
5 बाबूलाल पुत्र रामनारायण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भाण्डाहेडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
6 रोजीन अंसारी पत्नी मोहम्मद सईद, जाति मुसलमान, निवासी 5–बी–17, विज्ञान नगर, कोटा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
8 भैरू पुत्र ग्यारसी, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
9 सुल्तान पुत्र ग्यारसी, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
10 डिमला पुत्र ग्यारसी, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11 मंजू बेवा बसन्ता, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
12 बंटी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

**दिनांक : 16.04 .2018**

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, वादी वकील
श्री विद्याशंकर गोस्वामी, प्रतिवादी वकील

## निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता श्री कान्हा आत्मज पांथू, जाति भील के खाते में आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 3 बीघा पांच बिस्वा कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लखावा जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी संवत 2030 लगायत 2033 में दर्ज है। उक्त आराजीयात का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे व सेटलमेन्ट किया गया तथा सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त आराजीयात का नया खसरा नम्बर 217 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 1.46 हैक्टर पर्चा लगान में कायम किया गया।



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सेटलमेंट विभाग द्वारा जमाबंदी संवत् 2038 लगायत 2057 की जमाबंदी में उक्त खसरा नंबर 217 रकबा 0.38 हैक्टर नहरी प्रथम को जो कान्हा के वारिसान द्वारा मोहनलाल आत्मज श्री किशोर जाति मीणा निवासी गामछ को बेचान कर दिया और उक्त आराजी पर वादीगण का कोई स्वत्व व अधिकार नही है। सेटलमेंट विभाग ने वादीगण के खातेदारी में दर्ज की गयी बाकी खसरा नंबरान को सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी है जो प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी में दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है और न ही वादीगण के खातेदारी की भूमि को बिना वादीगण के सूचित किए हुए उक्त कब्जें काश्त की अराजीयात को हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नही है। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त हस्तान्तरण के कृत्य को कोई कानूनी मान्यता नही दी जा सकती। उक्त सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजीयात को पीर मोहम्मद आत्मज अहमद खां कौम घौसी मुसलमान की खातेदारी में संवत् 2050 लगायत 2055 में गलत तौर पर दर्ज होने के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण की उक्त भूमि को श्यामसुन्दर आत्मज चेलाराम जाति सिन्धी निवासी 3 क 8 तलवण्डी कोटा व प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता मोहम्मद मुश्ताक आत्मज हाजी मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी 5–बी–17 विज्ञान नगर कोटा को बेचान कर दिया गया।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.45 हैक्टर में मोहम्मद मुश्ताक की मृत्यु के पश्चात् उनके स्थान पर मोहम्मद मुनीर ,मोहम्मद नबीब, पुत्र निलोफर पुत्री व शाहिदा बेवा मुश्ताक का नाम दर्ज करने की स्वीकृति इंतकाल नम्बर 388 दिनांक 20–6–2008 विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है इसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 398 के आधार पर हक त्याग दिनांक 20–9–2008 मुनीब आत्मज मोहम्मद मुश्ताक के पक्ष में किया गया तथा इसके पश्चात् इंतकाल नंबर 404 बेचान दिनांक 22–12–2008 से विक्रय के आधार पर निम्न व्यक्तियों के खातेदारी में दर्ज किया गया जिनकों प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 बनाया गया है।

वादीगण की सेटलमेंन्ट के पूर्व जो सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी की भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विलोपित किया गया है वह उनको करने का कोई कानूनी विधिक अधिकार नही है बिना विधिक प्रक्रिया के उक्त खातेदारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने का सेटलमेंन्ट विभाग को कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वाद प्रस्तुत करने के पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस जिला कलेक्टर को दिया जाना संभव नही है इसलिए वादीगण द्वारा धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र उक्त वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के चरण नं0 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नं0 143 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसका हल खसरा नम्बर 217 रकबा 0.38 हैक्टर को विलोपित करते हुए बाकी खसरा नंबरान खसरा नम्बर 340 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 343 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 345 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की अराजीयात पर वादीगण को खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार साहब लाडपुरा को यथोचित निर्देशन देने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 6 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिक तौर पर उक्त आराजीयात को हस्तान्तरण किया गया है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिक तरीके से ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है जिसकों करने का सेटलमेन्ट विभाग को विधिक अधिकार प्राप्त है जिसकों वादीगण द्वारा उस समय चेलेन्ज नही किया गया था। दावा पेश करने से पूर्व कलेक्टर एवं तहसीलदार को दफा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक

समय के बाद निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पेश किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है और इसी आधार पर उक्त वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त वाद महज रंजिशवश, उन्हें खर्चे से जेरबार करने की गरज से पेश किया गया है इसलिये प्रतिवादीगण धारा 35–ए जा0दी0 के तहत वादी से विशेष हर्जा 10,000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जावे और प्रतिवादी को वादी से विशेष हर्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादिनी क्रम 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिक तौर पर उक्त आराजीयात को हस्तान्तरण किया गया है। वाद अर्जेन्ट नेचर का नहीं है, यदि अर्जेन्ट नेचर का होता तो वादी द्वारा उसी समय प्रविष्ठियां व परिवर्तन के बाद शीघ्र कार्यवाही कर देनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी नं. 6 रोजीन अंसारी द्वारा विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 346 रकबा 0.09 हैक्टर आराजी में से एक हिस्सा 0.06 हैक्टर भूमि पर स्थित एक भू–भाग संख्या 227 पैमाईश 6258 वर्गफुट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2009 को खातेदार से खरीद किया है जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है और तभी से उक्त भूभाग पर बहैसियत मालिक काबिज चली आ रही है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 6 बोनोफाईड परचेजर है और उसके द्वारा नियमानुसार विवादित भूमि को क्रय किया है जिसके सम्बन्ध में वादी को वाद पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वह स्व. कान्हा पुत्र पांथु जी जाति भील का पुत्र है और कान्हा द्वारा विवादित आराजीयात को अपने जीवनकालमें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 20.10.1967 को पीर मोहम्मद को बेचान किया था उस समय वादी पैदा भी नहीं हुआ था बल्कि अपनी माता के गर्भ में भी नहीं आया था इसलिये उसका उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नहीं है और इसी आधार पर उसको प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पेश करने का कोई लोकशस्टेन्डाई प्राप्त नहीं है।

पूर्व खातेदार पीर मोहम्मद द्वारा विवादित आराजीयात को खातेदार कान्हा से क्रय करने के उपरान्त व राजस्व अभिलेख में पीर मोहम्मद का नाम अमल दरामद होने के उपरान्त उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.12.1998 से प्रतिवादी नं. 1 व 2 को विक्रय किया और विक्रय के पश्चात जरिये इंतकाल राजस्व अभिलेख में उनका नाम अमल दरामद होने के उपरान्त प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा विवादित आराजीयात को आवासीय हो जाने से जरिये भूखण्ड विभिन्न व्यक्तियों को बेचान किया है। उसी अनुसरण में प्रतिवादी नं. 6 द्वारा भी जरिये मुख्तार प्रतिवादी नं. 6 को विवादित आराजी पर स्थित भूखण्ड संख्या 227 पैमाईशी 6258 वर्गफुट {0.06 हैक्टर} भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादिनी क्रम 6 को किया गया है।

उक्त भूमि इंतकाल संख्या 2034 दिनांक 04.09.2000 के द्वारा धारा 90–बी की कार्यवाही की जाकर यू.आई.टी., कोटा के खाते में दर्ज हो गई है। जिसकीवादी को जानकारी होने के उपरान्त भी तथा नगर विकास न्यास, कोटा उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में उक्त वाद नॉन ज्वाइण्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादी एक स्ट्रेन्जर परसन है। उसका उसका शुरू से आखरी तक विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 8 लगायत 12 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादपत्र के सभी कथन स्वीकार करते हुये निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जावे।



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

पत्रावली के बहस में आने पर वादी एवं प्रतिवादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पिता द्वारा आराजी का बेचान किया गया जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी का स्पष्टतः उल्लंघन हुआ है जिससे उक्त विक्रय अवैध है। अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे। इसके अतिरिक्त उन्होनें प्रकरण पर लिखित बहस भी पेश की गई तथा माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीर –

1- RLW 2012 (2) page 1026-1030
2- DNJ (SC) 1993 page 166-168
3- RRT 2014 (1) page 695-703
4- RRT 2016 (2) page 1058-1062
5- RRT 2007 (1) page 27-29
6- RRD feb 2005 page 77-81

प्रतिवादी क्रम 1, 2 6 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उनके पक्षकार द्वारा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रकरण की विवादित आराजी का क्रय किया गया है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे। साथ ही उनके द्वारा लिखित बहस एवं माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीर –

1- RRD 1977 page 637-642,
2- IR 1992 RAJASTHAN page 75-80,
3- 2012 CIVIL COURT CASES 020 (ALLAHBAD) page 20-24
4- 2011(2) CIVIL COURT CASES (P&H) page 642-645
5- RRD 1991 page 1-6
6- RRD 1974 page 164
7- RRD 1973 page 205-209
8- SSC 1984 (2) page 627-631
9- RRD 1981 page 512-516 पेश की गई।

दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये थे –

1. आया सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण की आराजीयात को प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार है ?
2. आया वादीगण जो जाति से भील जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के विक्रय को धारा 42 आर.टी.एक्ट के अधीन उल्लंघन है, इसका वाद पर क्या असर है ?
3. आया प्रतिवादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1967 का अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा बेचान वैध है ?
4. सहायता ?
5. आया प्रतिवादी नं. 1 श्याम सुन्दर द्वारा उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पीर मोहम्मद से दिनांक 28.12.1998 को पंजीयन तिथि को क्रय किया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 बोनोफाइड परचेजर होने व विक्रय पत्र विधि अनुसार होने से वैध है, जिसका वाद पर क्या असर है ?
6. आया वादी द्वारा उक्त वाद में नगर विकास न्यास, कोटा व अन्य क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। इसलिये वाद नॉन ज्वाइण्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण निरस्तनीय है।
7. आया उक्त वाद पेश करने से पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 7 को दफा 80 जा.दी. का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

8. आया वादीगण के पिता स्व. कान्हा द्वारा विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1967 से विक्रय कर दिया था जिससे वादीगण भी पाबन्द है इसलिये उन्हें अब स्व. कान्हा की मृत्यु उपरान्त उक्त वाद पेश करने का लोकश स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त समस्त तनकीयात के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण का मूल विवाद धारा 42–बी आर.टी.एक्ट के उल्लंघन से सम्बन्धित है। वादी के पिता कान्हा जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, के द्वारा विवादित आराजी का विक्रय पीर मोहम्मद जो घोंसी (मुसलमान) अन्य संवर्ग गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, को किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की आसामी द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति की आसामी को विवादित कृषि आराजी का बेचान किया गया है। इस हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान निम्न प्रकार है –

धारा 42– बिक्री दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबन्धः– खातेदार काश्तकारी द्वारा अपने भूमि में या उनके किसी भाग में अपने हित की बिक्री दान या वसीयत शून्य होगी यदि –

(ख) उक्त बिक्री दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो। स्पष्ट है कि उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण अवैद्य है एवं इस अवैद्य हस्तान्तरण के विरूद्व कार्यवाही के प्रावधान धारा 175 में दिए गए हस्तान्तरण अथवा शिकमी काश्त पर दिये जाने के कारण बेदखली के प्रावधान नियत है जिनके अन्तर्गत यदि काश्तकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बताए अनुसार भिन्न अपने सम्पूर्ण जोत या उसके किसी अंश को हस्तान्तरित करता है या उस पर उसका कब्जा है तो दोनो काश्तकार और ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने जोत या जोत के किसी भाग का कब्जा ऐसे प्राप्त किया हो या जिसका उस पर ऐसे कब्जा हो। इस प्रकार अन्तरित क्षेत्र से बेदखल किये जाने का दायित्वाधीन होगे। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी का हस्तान्तरण होना अभिलेख से प्रमाणित है, और धारा 42–बी का उल्लंघन होने से उक्त हस्तान्तरण अवैध है। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1979 पेज–375 में स्पष्टतः उद्धृत है कि धारा 42 के उल्लंघन में किया गया हस्तान्तरण शून्य है। नामान्तरकरण निरस्त किया जा सकता है।

*स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गमना, 1995 आर.आर.डी. 102, पृष्ठ संख्या 102, 103 के अनुसार – यह तो सही है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि आराजी का किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो उसके लिये प्रावधन है। सक्षम न्यायालय उसे राज्य सरकार की भूमि घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रावधन का उल्लंघन कर भूमि खरीदी है, उसके पास वो भूमि नहीं रहनी चाहिये और इस तरह से जिस व्यक्ति ने इस प्रावधान का उल्लंघन कर उस भूमि का मूल्य प्राप्त किया है, उसके पास भी यह भूमि नहीं रहनी चाहिये। ऐसी परिस्थिति में भूमि राज्य सरकार की हो जायेगी।*

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कृषि आराजी का बेचान होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ग्राम लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,



सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

खसरा नम्बर 169 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा का उप पंजीयक, कोटो कार्यालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1967 से किये गये बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी आर.टी. एक्ट का उल्लंघन होने से, इसके आधार पर पीर मोहम्मद के नाम खोला गया नामान्तरकरण प्रभावशून्य घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा का उक्त नामान्तरकरण तथा तदुपरान्त उक्त नामान्तरकरण के प्रभाव से खोले गये अन्य समस्त नामान्तरकरण, उनके खोले जाने की तिथि से निरस्त किये जाकर प्रकरण में धारा 42–बी का उल्लंघन के कारण भू–धारी तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को समस्त विवादित आराजीयात को राज्य सरकार के नाम दर्ज कराये जाने हेतु धारा 175 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील–लाडपुरा, जिला कोटा को प्रकरण के निर्णय एवं डिक्री की प्रति सहित पालना हेतु पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16 अप्रेल, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा**

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

*बउनवान :–*

1 चतरा पुत्र कान्हा जी एवं भवानी बाई पुत्री कान्हा, कौम भील, निवासी ग्राम लखावा, तह. लाडपुरा, कोटा

वादीगण

बनाम

1 श्याम सुन्दर आत्मज चेलाराम, जाति पंजाबी, निवासी 3–के–8, तलवण्डी, कोटा
2 मूनीर मोहम्मद आत्मज मोहम्मद मुश्तार, जाति मुसलमान, निवासी 5–बी–17, विज्ञान नगर, कोटा
3 जगदीश पुत्र गोर्धन नागर, जाति धाकड, निवासी ग्राम भाण्डाहेडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
4 देवकिशन पुत्र भीमशंकर नागर, जाति धाकड, निवासी हाजी कृषि फार्म, झालावाड रोड, खानपुर
5 बाबूलाल पुत्र रामनारायण, जाति धाकड, निवासी ग्राम भाण्डाहेडा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
6 रोजीन अंसारी पत्नी मोहम्मद सईद, जाति मुसलमान, निवासी 5–बी–17, विज्ञान नगर, कोटा
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
8 भैरू पुत्र ग्यारसी, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
9-10 सुल्तान, डिमला पुत्र ग्यारसी, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11 मंजू बेवा बसन्ता, जाति भील, निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
12 बंटी पुत्र बसन्ता, जाति भील निवासी लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 5 / 13
निर्णय दिनांक : 16-04-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 16–04–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कृषि आराजी का बेचान होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ग्राम लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा का उप पंजीयक, कोटा कार्यालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.1967 से किये गये बेचान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी आर.टी. एक्ट का उल्लंघन होने से, इसके आधार पर पीर मोहम्मद के नाम खोला गया नामान्तरकरण प्रभावशून्य घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम लखावा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 168 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा का उक्त नामान्तरकरण तथा तदुपरान्त उक्त नामान्तरकरण के प्रभाव से खोले गये अन्य समस्त नामान्तरकरण, उनके खोले जाने की तिथि से निरस्त किये जाकर प्रकरण में धारा 42–बी का उल्लंघन के कारण भू–धारी तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को समस्त विवादित आराजीयात को राज्य सरकार के नाम दर्ज कराये जाने हेतु धारा 175 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा